

## कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर

कोलडिपो परिसर, पानीपेच झोटवाडा रोड, जयपुर

क्रमांक : एफ ( ) FCA/उवसवजी/2022-23/ 3073

दिनांक :- 17.6.22

निमित्त:-

अधिशायी अभियन्ता,  
सार्वजनिक निर्माण विभाग,  
बस्सी, जयपुर

विषय:- वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण Widening and Strengthening of Mahngi to Dudhli Mod Via Bhawani, Bhawani Khurd, Saipur, Andhi, Sriramnagar, Virasna, Gaonli, Newal Maksundanpura, Chawandiya, District -Jaipur (Rajasthan) proposal no FP/RJ/ROAD/151862/2022 के संबंध में गैर वन भूमि उपलब्ध कराने बाबत।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 2144 दिनांक 02.05.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपने पत्रांक Comp/Jaipur/SP-02 दिनांक 03.06.2022 द्वारा प्रकरण में उप वन संरक्षक के मौका परीक्षण उपरान्त गैर वन भूमि हेतु जिला कलक्टर महोदय को आवेदन हेतु लिखा है। किन्तु संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा जारी EDS में लगे अन्य आक्षेपों के संबंध में कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इस कार्यालय द्वारा आपको स्पष्ट रूप से प्रकरण में पायी गई कमियों की पूर्तियों हेतु लिखा जा रहा है। किन्तु आप द्वारा हर बार समस्त बिन्दुओं की पालना नहीं भिजवाई जाकर प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है। पुनः लेख है कि पार्ट-1 में पाई गई कमियों के लिए, जिसके संबंध में संदर्भित पत्र के द्वारा लिखा गया था, की पूर्ति कर प्रत्युत्तर शीघ्र प्रस्तुत करें। ताकि तदानुसार पार्ट-2 की पूर्ति की जा सके।

1. वन विभाग एवं राजस्व विभाग के मौका जाँच में आने वाली वन भूमि प्रकरण में सत्यापन होने पर प्रस्तावित वन भूमि में कुछ अन्तर पाया गया है। मौका निरीक्षण करने पर सेगमेंट 4 में वन भूमि में आने वाली सड़क की लम्बाई आप द्वारा प्रस्ताव में दर्शायी गई 51.00मी के स्थान पर 118मी पाई गई है। अतः वन भूमि का प्रत्यावर्तन 3.4764 है० के स्थान पर 3.5568 है० संशोधित कर आवश्यक कार्यवाही करावें।

संलग्न:- मूल 4 पत्रावली

भवदीय  
(सागर पवार, IFS)  
उप वन संरक्षक  
वन्यजीव जयपुर